

सेवा में

श्री विपिन कुमार गुप्ता,
552, एक्सीलेंस डिपार्टमेंट,
प्लॉट नं0-04, सेक्टर-18 A,
द्वारका, न्यु दिल्ली।

विषय:- मौजा-दरदाग एवं चकला, प्लॉट संख्या-2 A, खाता संख्या-79, 27,57,15,51,27,57,89,12,12,12,154,12,12,12,27,68,81, वार्ड संख्या-00, थाना-ओरमॉझी, राँची में प्रस्तावित में0 मैट्रिक्स होराईजन प्रा0 लि0, गार्मेंट फैक्टरी भवन के हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह निर्गत करने के संबंध में।

आपके द्वारा भेजे गये ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में निर्मित भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी आड्र हाउस, राँची से कराया गया। उनके द्वारा ज्ञापांक-300 दिनांक-25.08.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पचास हजार लीटर क्षमता का एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. प्रस्तावित भवन में अग्नियामन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायामेटर वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट एवं 30 मीटर लम्बा एक-एक होज रील होज का संस्थापन कराया जाय।
3. डिलिवरी आउटलेट के पास एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
4. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
5. समान क्षमता डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
6. 180 LPM क्षमता का एक जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. पूरे भवन को स्प्रिंकलर सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
8. सभी तलों में Addressable Type Fire Detection & Alarming System की व्यवस्था की जाय।
9. भवन के सामनेवाले भाग में एक यार्ड हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।
10. यार्ड हाईड्रैण्ट के पास दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
11. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
14. निर्मित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
15. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेंट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अथवा 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
16. मुख्य प्रवेश द्वार के पास 50 ली0 क्षमता का एक-एक अदद वाटर मिस्ट तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
17. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
18. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
19. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु
20. समुचित व्यवस्था की जाय।
21. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।

22. सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।

-02-

23. निर्मित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व चेक लिस्ट के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. कारखाना परिसर के सेटबैक एरिया में ट्रान्समिशन लाईन एवं 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन वायर पार किया है। उक्त स्थिति में इसके 10 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जायगा।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**SUDHIR
KUMAR VERMA**

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: c=IN, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT OF
JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE JHARKHAND
RANCHI, postalCode=834002, st=Jharkhand,
2.5.4.20=be79f6de477ab831184e26d31d3ae7ca54094a9
de3dce9d2396aecb42d9edc1
serialNumber=a1608656d883fd65dd1fa203c62f139cc0982
17b1b01df01d3d83d8806cfe03e, cn=SUDHIR KUMAR
VERMA
Date: 2019.08.29 15:19:44 +05'30'

(सुधीर कुमार वर्मा)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।